राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1782/2024

श्रीमती रूपा वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिडेन्सी एरिया, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, विशेष योग्यजन, निदेशालय, जी3/1ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.05.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षक के पद पर बौधिक दिव्यांग गृह, बालिका विंग, जामडोली जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका गृह, गांधीनगर, जयपुर से मानसिक विमदिंत महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर में श्रीमती विद्या चौधरी के स्थान पर किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के पद का कार्यभार अन्य व्यक्ति गौरव कुमार, अधीक्षक को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अग्रीम आदेशों तक सौप दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 09.05.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीक्षक पद की समस्त प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां पुनः अपीलार्थी को दी जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2024 चुनाव आचार संहिता अवधि के दौरान जारी किया गया है, जो

मनमान एवं अनुचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2024 को अपास्त किया जावें एवं अपीलार्थी को अधीक्षक के पद पर बौधिक दिव्यांग गृह, बालिका विंग, जयपुर में समस्त प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों के साथ कार्य करने दिया जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधीवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि विभाग में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/ अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पास होता है। आदेश दिनांक 09.05.2024 द्वारा अपीलार्थी अधीक्षक की शक्तियां विभाग के अन्य अधिकारी गौरव कुमार, अधीक्षक को प्रदान की गयी है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है। उक्त आदेश से अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी अभी भी अपने पद पर पदस्थापित है। उक्त आदेश द्वारा केवल अग्रिम आदेश तक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां अन्य अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया |

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2024 द्वारा अपीलार्थी अधीक्षक की प्रशासनिक एवं आहरण वितरण की शक्तियां अग्रिम आदेशों तक प्रशासनिक आधार पर विभाग के अन्य अधिकारी गौरव कुमार, अधीक्षक को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिये जाने के आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश से अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी अपने पद पर पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।
6. अतः यह अपील ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है इस कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य